

राजस्थान सरकार

निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ

क्रमांक:-एफ 2(1) ()/लेखा/सामान्य/आईसीडीएस /2021/10990-जयपुर,
दिनांक 23/01/2023 11015

उप निदेशक

महिला एवं बाल विकास विभाग

समस्त (उपनिदेशक टोंक,कोटा,हनुमानगढ़,डुंगरपुर,

बाड़मेर,अलवर,धौलपुर व झुंझुनू को छोड़कर)।

विषय:- मृतक कोरोना वॉरियर्स से संबंधित क्लेम प्रकरणों की सूचना भिजवाने बाबत।

संदर्भ:- विभागीय पत्र क्रमांक 218193 दि. 22.11.2022 एवं 233009-342 दि. 22.12.22

उपर्युक्त विषयान्तर्गत सर्दमित पत्रों के द्वारा कोरोना संक्रमण की रोकथाम से संबंधित ड्यूटी पर कार्य के दौरान संक्रमण के कारण मृत्यु होने पर मृतक आश्रित परिवारों को राज्य योजनान्तर्गत अनुग्रह/सहायता राशि (रु 50 लाख) प्रकरणों की प्रगति के संबंध में निम्न प्रारूप में सूचना चाही गई थी जो आज दिनांक अप्राप्त है।

अतः उक्त सूचना अविलम्ब भिजवाये ताकि सूचना संकलित कर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को भिजवायी जा सकें।

विभाग का नाम :-

क्लेम प्रकरणों हेतु नोडल अधिकारी का नाम:-

ईमेल आई.डी:-

nwjHkk"ku-a-%&

क्र.स.	मृतक कार्मिक का नाम	पद	पदस्थापन	भुगतान/प्रक्रियाधीन/निरस्त प्रकरणों का विवरण	निरस्त के कारण
1					

निदेशक

समेकित बाल विकास सेवाएँ

राजस्थान,जयपुर।

क्रमांक:-एफ 2(1) ()/लेखा/सामान्य/आईसीडीएस /2021/11016-जयपुर, दिनांक 23/01/2023
11298

प्रतिलिपि निम्न के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1.निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान, जयपुर को सूचनार्थ।
- 2.बाल विकास परियोजना अधिकारी समस्त को भेजकर लेख है कि आप स्वयं से संबंधित सूचना अविलम्ब उपनिदेशक कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
- 3.एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करवाएँ।

Signature valid

Digitally signed by P. Avatar
Meena
Designation: Director
Date: 2023.01.23 12:29:00 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3062490

